centives and promotion, Government takes into account international norms and rules as accepted by us, with a view to ensuring that the chances of levy of anti-dumping and countervailing duties on our exports by the Governments of the importing countries are minimised.

Unemployment

1538. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what was the backlog of unemployment at the begining of the present Five Year Plan;

(b) the employment generated during the last two years of the present Five Year Plan and how much of the backlog was cleared during these two years; and

(c) the details of schemes under implementation to generate more employment and to solve the problem of unemployment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) The backlog of unemployment at the beginning of the Seventh Five Year Plan was 9.2 million.

(b) Information is not available.

(c) The details of schemes under implementation for generation of more employment are given in the Seventh Five Year Plan document.

Conversion of Tribals in Tripura

1539. SHRI KALPNATH RAI:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a report which appeared in the 'Hindustan Times' of December 23, 1986 about a sudden spurt in conversion to Christianity of tribals in Tripura;

(b) if so, what are the details thereof with percentage of tribals converted during the year 1984—86 (year-wise); and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) As per the information received from Government of Tripura, the details of tribals converted into Christianity are as follows:

Total population of Tribals as per 1981 census—5,83,920;

Conversion:

1984—290

1985—303

1986—328.

(c) The matter in fact concerns the State Government of Tripura. Public order is primarily the State's concern. So far as conversion is concerned, Article 25 of the Constitution of India inter-alia provides that all persons are entitled freely to profess, practise and propagate religion provided that exercise of such right does not jeopardize public order, morality and health of other citizens and does not infringe the other provisions relating to Fundamental rights contained in Part III of the Constitution.

दैनिक वेतन पर काम करने वाले मजदूर

1540. श्री सूरज प्रसाद : क्या श्रम मंत्री 4 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 95 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 में दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के लियों तथा दिल्ली नगर निगम में दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किए जाने के बाद से

महंगाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार महंगाई में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दैनिक वेतन पर काम करने वाले सभी मजदूरों के वेतनमानों में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) न तो दिल्ली प्रशासन द्वारा दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में, और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक मजदूरी पर नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी में कोई अलग महंगाई भत्ता है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे दो साल में एक बार, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि पर, जो पहले हो, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करें । दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में पिछले बार अक्तूबर, 1985 में संशोधन किया गया था ।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी में और संशोधन करने का एक प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

1541. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पर आधारित वस्तुओं अर्थात चाय, काफी, काजू, मसाले, फल तथा सब्जियों, संसाधित खाद्य पदार्थों और समुद्री उत्पादों के निर्यात की मीट्री टनों तथा रुपयों के संदर्भ में गत तीन वर्षों की स्थिति

(ख) इन वस्तुओं की भावी निर्यात संभावनाएं क्या हैं और इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) 1987 में आयोजित की गई 'आहार' नामक प्रदर्शनी की सफलता के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) इन मदों के निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ख) इन मदों की भावी निर्यात सम्भाव्यता उपलब्ध निर्यात योग्य देशों पर निर्भर होती है जो घरेलू उत्पादन और खपत पर निर्भर होती है । विशेषत: चाय, काफी, फलों व सब्जियों, संसाधित खाद्य पदार्थों तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की अच्छी सम्भावना है । संसाधित खाद्य पदार्थों तथा समुद्री उत्पादों के विकास के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है क्योंकि इनमें वृद्धि की काफी सम्भाव्यता है ।

इन मदों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । इनमें शामिल है : चाय की थैलियों पर उत्पादन शुल्क की छूट, चाय की थैलियों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले फिल्टर कागज पर सीमा शुल्क को समाप्त करना, तथा पैकेट चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क की छूट । भारतीय मूल्य वर्जित चायों के ब्रांड संवर्धन के लिए मध्य-पूर्व में एक प्रायोगित परियोजना शुरू की गई है । काफी के संबंध में, अब कच्ची काफी के निर्यात पर बिक्री कर से छूट है तथा इस्टेट काफी के निर्यात पर 8 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता दी जाती है । काफी के निर्यात को बढ़ाने के उपाय के रूप में काफी बोर्ड विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है।

संसाधित खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में संवर्धनात्मक उपायों में शामिल है : अन्त-र्निविष्ट साधनों जैसे कच्चा माल तथा पैकिंग सामग्री के शुल्कमुक्त आयात की